Power Finance Corporation Ltd.

A Govt. of India Undertaking

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम

" पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तिमाही-2, वित्तीय वर्ष 15 सम्मेलन (कान्फ्रेंस) कॉल"

31 अक्तूबर, 2014

Power Finance Corporation Ltd.
(A Govt. of India Undertaking)

IIFL

CHORUSCALL

प्रबंध : **श्री एम. के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन**

सभापति : श्री अभिषेक मुरारका, एसोसिएट वाइस प्रेसीडेंट, आई.आई.एफ.एल. कैपिटल

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 अक्तूबर, 2014

संचालक देवियों और सज्जनों, नमस्कार और आई.आई.एफ.एल. कैपीटल लि. की मेजबानी में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. तिमाही 2 वित्तीय वर्ष 15 की आय संबंधी सम्मेलन कॉल में आपका स्वागत है। सम्मेलन के आरंभ में सभी भागीदार क्षेत्रों को केवल सुनना होगा। प्रस्तुतीकरण के अंत में आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। सम्मेलन कॉल के दौरान यदि आपको सहायता की जरूरत होती है तो आप कृपया अपने टच टोन टेलीफोन पर *, और तत्पाश्चात् 0 दबाकर प्रचालक को संकेत दें। कृपया नोट करें कि इस सम्मेलन को रिकार्ड किया जा रहा है। अब मैं इस सम्मेलन का मंच आई.आई.एफ.एल. कैपीटल के श्री अभिषेक मुरारका को देता हूं। धन्यवाद, अब आपकी बारी है महोदय।

अभिषेक मुरारका -सभी को नमस्कार। इस सम्मेलन में आने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एम के गोयल और निदेशक (वित्त) श्री आर. नागराजन हैं। हम इनके साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मैं अब सम्मेलन की आगे की कार्रवाई के लिए श्री गोयल को आमंत्रित करता हूं। अब आगे की कार्यवाही आप संभालेंगे।

एम.के.गोयल-सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं तिमाही 2, वित्तीय वर्ष 15 के दौरान अपने वित्तीय निष्पादन के बारे में चर्चा करूंगा और फिर मैं विद्युत विकास के बारे में चर्चा करूंगा। हमारे ट्रैक रिकार्ड के अनुरूप

इस तिमाही में भी हमने अच्छे परिसंपत्ति विकास और अच्छा लाभ अर्जित करके ठोस लाभ होने की स्थिति को दर्शाया है। हमने 1% से रहे एन.पी.ए. अनुपात वाले किसी भी नए एन.पी.ए. को शामिल नहीं किया है। एच-1 वित्तीय वर्ष 15 के दौरान हमारे निवल लाभ में 16% की बढ़ोतरी हुई है जो 2472 करोड़ रूपए से बढ़कर 2857 करोड़ रूपए हो गया। तिमाही 2 वित्तीय वर्ष 15 के दौरान हमारा निवल लाभ 11% बढ़ गया जो 1274 करोड़ रूपए से बढ़कर 1409 करोड़ रूपए हो गया।

इस तिमाही में हुए लाभ का प्रभाव यह हुआ कि हमने आर.बी.आई के निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन की गई परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान किया है। आरबीआई के अनुसार सम्पूर्ण पुनर्गठित परिसम्पत्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 2.75% प्रति वर्ष की दर से प्रावधान किया जाना अपेक्षित था। तद्नुसार एच-1 वित्तीय वर्ष 15 के लिए 15660 करोड़ रूपए की पुनर्गठन बही पर 215 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। यदि पुनर्संरचना की गई परिसम्पत्ति के लिए प्रावधन करने सहित असाधारण मदों को निकाल दिया जाता है तो तिमाही 2, वित्तीय वर्ष 15 के दौरान तुलनात्मक लाभ में 16% की वृद्धि हुई है जो 1473 करोड़ रूपए से बढ़कर 1715 करोड़ रूपए हो गया है।

ऋण परिसंपत्तियों में 16% की अत्यधिक वृद्धि दर्शायी है जो 1,72,000 करोड़ रूपए (लगभग) से बढ़कर लगभग 2,00,000 करोड़ है।

हम 3.48% के अच्छे स्तर पर ब्याज को बनाए रखने तथा तिमाही 2, वित्तीय वर्ष 2015 के लिए एन आई एम के 4.98% के ब्याज स्तर को बनाए रखने में समर्थ रहे हैं। तद्नुसार, इस तिमाही की हमारी निवल ब्याज आय में 18% की वृद्धि हुई है जो 2,119 करोड़ रू. से बढ़कर 2,492 करोड़ रू. हो गई है।

अपनी परिसम्पत्ति के गुणवत्ता स्तर के मामले में हमने इस तिमाही में किसी नए एनपीए को नहीं जोड़ा है। सकल एनपीए 1977 करोड़ रू. है जो ऋण परिसम्पत्ति का 0.99% है तथा निवल एनपीए 1543 करोड़ रू. जो ऋण परिसम्पत्ति का 0.77% है।

इस तिमाही में हमने महेश्वर परियोजना के लिए 70 करोड़ रू. का एनपीए प्रावधान किया है तथा ईएमपीइइ परियोजना के लिए 5 करोड़ रू. का प्रावधान किया है जो एक छोटी सी परियोजना है।

पुनर्गठन पुस्तिका का जहां तक संबंध है, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार पुनः निर्मित परिसम्पत्तियों के लिए कुछ छूट दी गई है। प्रावधानों के बारे में पीएफसी को कुछ छूट प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पारेषण, वितरण, आर एण्ड एम, लाईफ एक्सटेंशन एवं हिमालयन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 31 मार्च, 2017 तक स्वयं अपने मौजूदा पुनः संरचना संबंधी मानदण्डों का पालन करने की पीएफसी को अनुमति दी थी। 1 अप्रैल, 2015 से पुनःसंरचित नए उत्पादन परियोजना ऋणों के संबंध में वे आरबीआई के प्रावधान करने वाले मानदण्डों को आकर्षित करेंगे।

31मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बकाया पुनः संरचित उत्पादन परियोजना ऋणों के संबंध में 2.75% का प्रावधान करने वाले आरबीआई के मानदण्ड 31 मार्च, 2018 तक चरणबद्ध रूप में धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे।

आरबीआई की उपरोक्त रियायतों के आधार पर पीएफसी की पुनर्गठन पुस्तिका को पुनःवर्गीकृत किया गया है जो 30 सितंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार 15,660 करोड़ रू. आता है, जिस पर इस तिमाही के दौरान एच 1 वित्तीय वर्ष 2015 के लिए 2.75% की वार्षिक दर का प्रावधान किया गया था।

अतः तिमाही 2, वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान हमारी पुनःसरचित परिसम्पत्तियां 4,610 करोड़ रू. की हैं और तिमाही 1, वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान यह 2,300 करोड़ रू. थीं तथा 31 मार्च, 2014 तक संचयी की पुनःसंरचित परिसम्पत्ति 8,750 करोड़ रू. की है, इस प्रकार कुल 15,660 करोड़ की परिसम्पत्तयां हैं।

तिमाही 2, वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान आरबीआई के मानदण्डों के अनुसार प्रावधान करने के लिए पुनःसंरचित और विचारार्थ ऋण 4,610 करोड़ रू. की हैं जो चार परियोजनाओं - नामतः आरकेएम पावर जेन - 1048 करोड़ रू., केएसके महादनी - 1685 करोड़ रू., लेंको अमरकंटक-1313 करोड़ रू. तथा ईस्ट कोस्ट एनर्जी - 563 करोड़ रू. से संबंधित है।

जहां तक व्यापार के निष्पादन का संबंध है, हमने वित्तीय वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही के दौरान लगभग 23000 करोड़ रू. के

मूल्य के ऋण स्वीकृत किए हैं। संचयी तौर पर, हमने एच 1, वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान 33,000 करोड़ रू. (लगभग स्वीकृत किए हैं। इसकी तुलना में 55000 करोड़ रू. का लक्ष्य अर्थात लक्ष्य का 60% पहले की प्राप्त कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही के दौरान स्वीकृति 88% तक बढ़ गई है जो 12050 करोड़ रू. से बढ़कर 22673 करोड़ रू. हो गई है तथा एच 1, वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान स्वीकृतियों में 19% की बढ़ोतरी हो गई है जो 27,425 करोड़ रू. से बढ़कर 32,748 करोड़ रू. हो गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही के वितरणों का जहां तक संबंध है, हमने 8,361 करोड़ रू. वितरित कर दिए हैं। संयमी तौर पर हमने एच 1 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान 16,650 करोड़ रू. वितरित कर दिए हैं, इसकी तुलना में 44,000 करोड़ रू. का लक्ष्य था, जो प्राप्त किए गए लक्ष्य का 38% है। इसकी तुलना में, एच1, वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान हमने 18012 करोड़ रू. वितरित किए थे जो उस वर्ष के लक्ष्य का 38% भी था। इसलिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा करते हैं।

इसके अलावा हमारी बकाया ऋण स्वीकृतियां 1.65 लाख करोड़ रू. की हैं जो वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान वितरित राशि का 3.5 गुणा है। यह ठोस बाजार में हमारे आगे बढ़ने की स्थिति को दर्शाता है।

कोयला आवंटन के लिए अध्यादेश और सरकार को अन्य पहलों के अलावा व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की संभावना है।

जहां तक संसाधनों को गतिशील बनाने का संबंध है, हमने 9.22% की सीमांत लागत पर तिमाही 2 वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान लगभग 12,583 करोड़ रू. जुटाए हैं। एच1, वित्तीय वर्ष 15 के दौरान 21,190 करोड़ रू. की राशि के लिए सीमांत लागत 9.01% थी। हम शीघ्र ही सिंडीकेट ऋण के रूप में 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का ईसीबी ऋण लेंगे जिसके लिए विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को व्यापक रूप से शामिल किया गया है।

हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.51% की स्तर-I पूंजी से 21.1% पर रहा है जिसकी तुलना में आरबीआई की अपेक्षा क्रमशः 15% और 10% स्तर-I पूंजी थी।

अपने वित्तीय निष्पादन के बारे में चर्चा करने के बाद अब मैं क्षेत्र के विकास और पीएफसी के लिए उसके निहितार्थों के बारे में चर्चा करूंगा।

जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पिछली सम्मेलन कॉल अगस्त, 2014 में हुई थी, जिसके बाद इस क्षेत्र में कुछ वृहद परिवर्तन हुए हैं। यदि आपको याद है कि पिछली बार अपने कथन में इस बारे में आशावादी था कि नई सरकार कोयला और गैस आपूर्ति के मुद्दों सहित विद्युत क्षेत्र के मूलभूत विषयों का समाधान करने के लिए कदम उठाएगी।

जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने विगत हाल ही में कई पहल करके ऊर्जा सुधारों में बढ़ोतरी की है, इनमें डीजल की कीमतों को विनियमित करना, लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद गैस की कीमत 4.2 डॉलर से 5.6 डॉलर प्रति यूनिट बढ़ाना शामिल है। जिससे विद्युत को ज्यादा महंगी किए बिना गैस की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है। कोयले के लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान करने के लिए पिछले सप्ताह कोयले के बारे में अध्यादेश लाना ठीक दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा, असहाय छोड़ दी गई विद्युत परियोजनाओं को राहत प्रदान करने के लिए कोयला और गैस पूल के मूल्य निर्धारण के बारे में भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार कई पहल कर रही है, अतः इस बात को मानते हुए मैं विद्युत क्षेत्रों के बारे में आशावादी हूं। अब मैं क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने एवं पीएफसी पर प्रभाव के बारे में चर्चा करूंगा।

पहला मुद्दा है कोल-ब्लॉक को रद्द करना और अध्यादेश तथा पीएफसी पर इसके प्रभाव से संबंधित है। जैसा कि आपको विदित है, कोल-ब्लॉकों को निरस्त करने से हुई अनिश्चितता की स्थिति सरकार द्वारा पिछले सप्ताह अध्यादेश पारित करते ही समाप्त हो गई। निरस्त किए गए कोल-ब्लॉक के मुद्दों का समाधान करने संबंधी अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि सरकार के द्वारा राज्य और केंद्रीय क्षेत्र के पीएसयू को कोयला खदानों का सीधे ही आवंटन किया है तथा सरकार द्वारा अंतिम प्रयोक्ता निजी कंपनियों के लिए

निरस्त कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी सरल एवं कारगर बनाया जाना है।

मैं यह मानता हूं कि अध्यादेश के अन्य सकारात्मक पहलू ये हैं कि कोयला क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा अध्यादेश को लाना बहुत पहले से प्रतीक्षित पहल है। कोयला क्षेत्र में उदारीकरण की दिशा में यह पहला कदम है, जिसके द्वारा एक विशिष्ट प्रावधान के माध्यम से वाणिज्यिक खनन किया जा रहा है। इसलिए कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

सरकार का उद्देश्य शीघ्रता से ई-नीलामी करना है, यह इससे भी स्पष्ट है कि अध्यादेश के तहत परकल्पित मुआवजे के लिए समिति पहले से ही गठित कर दी गई है और 10 नवंबर, 2014 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ई-नीलामी प्रक्रिया को 3 से 4 महीनों की अवधि के भीतर पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इसलिए सरकार विद्युत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात कोयले की आपूर्ति का उत्साह पूर्वक समाधान कर रही है, जिससे विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को काफी राहत मिलेगी।

अतः सरकार के द्वारा पिछले सप्ताह लाया गया अध्यादेश पीएफसी के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि इससे अनिश्चितता खत्म हो गई; सरकारी यूटिलिटीज को सीधे ही आवंटन मिल रहा होगा और सरकार निजी कंपनियों के संबंध में ई-नीलामी को शीघ्रता से पूरा करने के लिए बचनबद्ध है।

जहां तक कोल-ब्लॉकों को रद्द होने से प्रभावित पीएफसी परियोजनाओं का संबंध है, 36,237 करोड़ रू. को दर्शाने वाली कुल 16 परियोजनाएं हैं, जो 30 सितंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार प्रभावित थीं।

इन 16 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र की थी जो लगभग 32,000 करोड़ रू. की राशि को दर्शाती हैं। अध्यादेश के अनुसार राज्य केंद्रीय क्षेत्र की यूटीलिटीज सीधे आवंटन प्राप्त करेंगी और उन्हें ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी करनी नहीं होती है। अतः सरकारी क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के बारे में हमें कोई मुद्दा नजर नहीं आता है।

इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए एक अतिरिक्त सुविधा यह है कि राज्य और केंद्र क्षेत्र के लिए पीएफसी हेतु वित्तीय व्यवस्था अनिवार्य रूप से तुलन-पत्र के अनुसार की जाती है और सरकारी प्रकटन की 32,000 करोड़ रू. की राशि में से 11,556 करोड़ रू. की और अतिरिक्त राशि कम हो गई है।

शेष 4 परियोजनाएं निजी क्षेत्र की हैं, और इन सभी चारों परियोजनाओं को अभी चालू किया जाना है। अतः कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रभावित 4 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाओं के लिए टेपरिंग लिंकेज लागू है जिनको दीर्घकालिक लिंकेज में बदले जाने की उम्मीद है और ये परियोजनाएं 2,595 करोड़ रू. के कुल प्रकटन (एक्सपोजर) वाली आरकेएम पावर जेन हैं। दूसरी केएसके महानदी है जिसका प्रकटन (एक्सपोजर) 1685 करोड़ रू. है। तथापि,

इसके लिए 50% एक्सपोजर को प्रभावित माना जा रहा है अर्थात यह 842 करोड़ रू. है।

जिन दो अन्य परियोजनाओं का टेपरिंग लिंकेज नहीं है और प्रभावित हैं, वे 975 करोड़ रू. के एक्सपोजर वाली इस्सर पॉवर एम.पी. हैं, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाना है तथा जिनके लिए वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था करने हेतु हम मामले को सरकार के साथ उठा रहे हैं, क्योंकि इस परियोजना को शीघ्र ही चालू किए जाने की उम्मीद है। एक अन्य परियोजना 224 करोड़ रू. के कम वाली जस इंफ्रा है जिसे अभी चालू किया जाना है।

इसलिए एक्सपोजन प्रभाव लगभग 2,000 करोड़ रू. का है जो हमारी ऋण परिसम्पत्ति का लगभग 1% है। इसमें इस्सर पावर एम.पी. - 975 करोड़ रू., जे.एस. इन्फ्रा - 224 करोड़ रू. और के.एस.के.महानदी - 842 करोड़ रू. शामिल है जो कुल एक्सपोजर का 50% है। तथापि, इन परियोजनाओं के लिए भी ई-नीलामी पर बोली लगाई जाती है और यदि वे सफल हो जाते हैं, तब भी इस 2000 करोड़ रू. के एक्सपोजर के बारे में कोई समस्या नहीं होगी।

कोयले के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहले हैं - कोयला पूल मूल्य-निर्धारण, जो असहाय छोड़ दी गई परियोजनाओं को राहत देने के लिए है। सीआईएल ने भी आगामी 4 वर्षों में 18% सीएजीआर की विकास दर से 2019 तक 1 बिलियन टन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए वचन दिया है। सीआईएल को भी

434 मिलियन टन की परम क्षमता हेतु बारहवीं योजना में 126 नई परियोजनाओं को शुरू करना है।

सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन और बेहतर निकास के माध्यम से दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने हेतु खोज कर रही है। कोयले की अधिक निकासी करने लिए सीआईएल 250 अतिरिक्त रैक खरीदने पर विचार कर रही है। सरकार को भी 3 जारी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना है, जिससे वर्ष 2017-18 तक 60 मिलियन टन और वर्ष 2021-22 तक 200 मिलियन टन उत्पादन बढ़ेगा।

कोयला लिंकेज युक्तीकरण से ढुलाई की लागत में बचत होने की संभावना है (विद्युत संयंत्रों को समीपस्थ कोयला खानों से लिंक करके)। जो संयंत्र 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनके कोयला लिंकेज को नए संयंत्र में स्वतः हस्तांतरण करना क्योंकि नए संयंत्र के पास कोयले का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सुपर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी होती है तथा कोयले का तृतीय पक्षकार सैम्पलिंग करना अन्य पहलें हैं।

जहां तक गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के पुनरूद्धार का संबंध है, सरकार ने नेचुरल गैस मूल्य को 4.2 डॉलर प्रति यूनिट से बढ़ाकर 5.6 डॉलर प्रति यूनिट कर दिया है। गैस की कीमत में बढ़ोतरी होने से गैस की उपलब्धता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और साथ ही इससे विद्युत अत्यधिक महंगी होने की भी संभावना नहीं है।

यह भी ज्ञात है कि गैस पूल के मूल्य - निर्धारण पर विचार किया जा रहा है तथा विद्युत कंपनियां 1.30 रू. प्रति यूनिट पर निर्धारित लागत को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं तथा 5.5 रू. प्रति यूनिट की दर पर विद्युत की लागत को बढ़ाने के लिए और राज्य तथा केंद्र आदि के द्वारा गैस पर करों का अधित्याग करने के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली राज-सहायता के बारे में विचार किया जा रहा है।

पीएफसी द्वारा वित्त पोषित गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का जहां तक संबंध है, गैस आधारित परियोजना के लिए हमारा कुल बकाया एक्सपोजर लगभग 5245 करोड़ रू. है जो 30 सितंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार ऋण का 2.6% है। गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 5245 करोड़ रू. कुल एक्सपोजर में से 1091 करोड़ रू. केवल निजी क्षेत्र के लिए है, अर्थात यह ऋण परिसम्पत्ति के लिए 0.5% है, जो तीन परियोजनाओं से संबंधित है।

एक परियोजना कोनासीमा है जो 418 करोड़ रू. के एक्सपोजर से पहले ही एनपीए है। दूसरी परियोजना एक केप्टिव परियोजना बाडीनर पावर है जो 661 करोड़ रू. एक्सपोजर वाली है और यह परियोजना केप्टिव खपत हेतु ईंधन के रूप में रिफाइनरी के रिजेक्ट ऑयल का उपयोग कर रही है। अतःएव इस परियोजना के बारे में ईंधन संबंधी कोई मुद्दा नहीं है।

सरकारी क्षेत्र की गैस आधारित परियोजना लगभग 4154 करोड़ रू. से बनायी है जो 10 परियोजनाओं से संबंधित ऋण परिसम्पत्ति का 2.1% है। रत्नागिरी परियोजना के अलावा, जिसे एनपीए के रूप में

घोषित किया गया है, अन्य सरकारी क्षेत्र की गैस आधारित परियोजनाओं के बारे में हमें कोई मुद्दा नजर नहीं आता है क्योंकि उन्हें के.जी.बेसिन से लिंक नहीं किया जाता है तथा गैस आपूर्ति को गेल, ओएनजीसी जैसे एजेंसियों, स्थानीय क्षेत्रों के साथ पहले से ही जोड़ा हुआ है, जहां पर हमें कोई समस्या नजर नहीं आती है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र की गैस परियोजनाओं के लिए तुलन-पत्र वित्तीय व्यवस्था का लाभ है।

अब मैं आपके साथ वितरण क्षेत्र में हुए कुछ सकारात्मक परिणामों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो चिंता करने का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है। यह एकीकृत विद्युत विकास स्कीम वितरण क्षेत्र संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तावित की जा रही एक नई स्कीम है, जो अर्द्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में पारेषण, वितरण और मीटर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है और इसका कुल परिव्यय 32,600 करोड़ रू. है। इसके लिए वित्तीय व्यवस्था 75:25 के हिसाब से (अनुपात) से की जाती है जहां पर 75% राशि की व्यवस्था बजट से और 25% राशि की व्यवस्था बारहवीं और तेरहवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की गई यूटीलिटीज से की जाती है तथा इसका उद्देश्य वसूली दक्षता में सुधार करना एवं हानियों में कमी लाना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण स्कीम दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम है जो वितरण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तावित की गई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण के फीडर को अलग थलग करना और सुदृढ़

बनाना है। इसके लिए 43000 करोड़ रू. के निवेश की परिकल्पना है और इसको बारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करना होगा। इसका उद्देश्य कृषि उपभोक्ताओं को 8 घंटे और घरेलू उपभोक्तओं को 24 घंटे निरंतर विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध कराना है। इस स्कीम से एटी एण्ड सी हानियों में भी कमी आएगी।

इसके अलावा नई सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एटी एण्ड सी हानि के 25% के मौजूदा स्तर को विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट सर्वोत्तम उपायों के जरिए वर्ष 2021-22 तक 15% लाने के लिए हानि में कमी लाने वाली ट्रेजेक्टरी को अंतिम रूप दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भार हेतु विशेष तौर पर फीडर पृथक्करण स्कीम, उप-पारेषण और वितरण में अन्तर को कम करके पर्याप्त विद्युत निकासी प्रणालियों की स्थापना करना तथा शत-प्रतिशत मीटर व्यवस्था करना शामिल है।

राज्यों के द्वारा नियमित रूप से टैरिफ में वृद्धि करना क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक पहलू है। नवंबर, 2011 में एपीटीईएल के निर्देश के बाद यदि राज्य टैरिफ याचिकाएं दायर नहीं करते हैं तो एसआईआरसी के द्वारा यथा-आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान टैरिफ आदेश जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 29 में से 26 राज्यों ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें आंध्रप्रदेश राज्य ने 23%, हरियाणा के द्वारा 13% की बढ़ोतरी की है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 19 राज्यों ने 24% वृद्धि करने के टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

इसके अलावा, 5 राज्यों ने 27% वृद्धि करने के लिए टैरिफ याचिका दायर कर दी है।

आर-एपीडीआरपी एक महत्वपूर्ण स्कीम है जिसे ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अभिज्ञात विशिष्ट कस्बों में, जहां पर पीएफसी एक नोडल एजेंसी है, 15% तक एटी एण्ड सी हानियों को कम करना है। भाग "क" और भाग "ख" की पात्र परियोजनाओं की लगभग संपूर्ण राशि अर्थात 39230 करोड़ रू. की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें से 7,740 करोड़ रू. पहले ही वितरित कर दिए गए हैं।

कुल 1412 कस्बों से परियोजनाओं के भाग "क" के अंतर्गत 680 कस्बों को पहले ही "गो-लिव" घोषित कर दिया गया है और 489 "गो-लिव" कस्बों ने प्रशासनिक उपायों के माध्यम से केवल 7% से 8% तक एटी एण्ड सी हानि में कमी होना दर्शाया है।

अतः यह मानते हुए कि सरकार बहुत सी पहलों के जरिए विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों का नियंत्रण (सामना) करती है, जिनको मैंने अभी-अभी व्यक्त किया है तो मुझे उम्मीद है कि बुरा समय निकल गया है और मुझे विद्युत क्षेत्र में सुधार होता नजर आ रहा है। धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।

प्रचालक महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब हम प्रश्न और उत्तर सत्र आरंभ करेंगे। हमारा पहला प्रश्न इडलवाइज के श्री कुणाल शाह की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

कुणाल शाह -महोदय, इस संपूर्ण संरचित बही के आधार पर 2.75% का प्रावधान करने के बारे में हमें बताया गया था और इसके लिए उस स्थिति में 3000 करोड़ रू. की आवश्यकता होगी, जहां पर नकद प्रवाह इश्यू होते हैं। अतः इस बार यह हो सकता है और आरबीआई से ऐसा संकेत हो कि जिसके लिए हमें इस समस्त 15,600 करोड़ रू. पर इसके बनाने की जरूरत हो, इसलिए हमने पहले छःमाही में इसका आधा बनाया था और दूसरी छःमाही में हम अन्य 215 करोड़ रू. की राशि बनाएंगे।

प्रबंधन वर्ष 2003 से पीएफसी अपने विवेकी मानदण्डों का पालन कर रहे हैं जिनको हमारे विद्युत मंत्रालय ने अनुमोदित किया है। अतः हम सख्ती से इन मानदण्डों का पालन कर रहे हैं और सरकार के द्वारा हमारी लेखा परीक्षा भी की जाती है। चूंकि हमारे मानदण्डों में नकद प्रवाह समस्या के कारण अथवा डीसीसीओ विलंब के कारण पुनःसंरचना करने के बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए, जहां पर हमने पुनर्भुगतान को या तो नकद प्रवाह समस्या के कारण अथवा डीसीसीओ विलंब के कारण भी आस्थगित कर दिया था, ऐसी सभी परिसम्पत्तियों के लिए हमने प्रावधान किया था। 30.09.2014 की स्थिति के अनुसार हमने बकाया बही पर 1.375% की दर से इस प्रकार से उपलब्ध कराए हैं कि हम इसे जून और सितंबर, 2014 दोनों के लिए शामिल करेंगे। तीसरी और चौथी तिमाही में हम 2.75% के एक चौथाई के दर से उपलब्ध कराएंगे, ताकि 31 मार्च, 2015 तक हमारा प्रावधान 2.75% की दर पर होगा। फिर वित्तीय

वर्ष 2016, वित्तीय वर्ष 2017 और वित्तीय वर्ष 2018 में हम प्रत्येक वर्ष 0.75% अतिरिक्त उपलब्ध कराएंगे।

कुणाल शाह -पुनःसंरचित राशि कितनी है? आपने तिमाही के दौरान 4300 करोड़ रू. दर्शाए थे और पिछली तिमाही में यह 2800 करोड़ रू. थी।

प्रबंधन तिमाही 2, वित्तीय वर्ष 2015 में 4610 करोड़ रू. और तिमाही 1, वित्तीय वर्ष 2015 में यह 2299 करोड़ रू. थी।

कुणाल शाह -विवरण क्या थे ?

प्रबंधन 4610 करोड़ रू. का ब्यौरा इस प्रकार है - केएसके महानदी 1685 करोड़ रू., आरकेएम पावरजेन - 1048 करोड़ रू., लेंको अमरकंटक - 1313 करोड़ रू. और ईस्ट कोस्ट एनर्जी - 563 करोड़ रू.।

कुणाल शाह -वितरण राशियों में एक बड़ा भाग अन्य से प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार क्या यह अंतर्वर्ती वित्त से प्राप्त हो रही है?

प्रबंधन तिमाही 2, वित्तीय वर्ष 2014-15 में अंतर्वर्ती वित्त की वितरण राशि 1518 करोड़ रू. है। इसमें उ.प्र. - 893 करोड़ रू., दक्षिणी हरियाणा - 100 करोड़ रू., अजमेर विद्युत वितरण निगम - 200 करोड़ रू., जयपुर विद्युत वितरण निगम - 75 करोड़ रू., जोधपुर विद्युत वितरण निगम - 250 करोड़ रू. शामिल है।

कुणाल शाह -स्वीकृतियों के अनुसार हम अच्छा देख रहें हैं अर्थात यह स्वीकृति के लगभग समान यानि 22000 करोड़ रू. हो सकता है। इसलिए नीति के आधार पर हम जो देख रहे हैं, वही मुख्य रूप से है जिसकी

सतही स्तर पर अच्छे विचार तलाश करा रहे हैं। इस बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, हो सकता है कि वह दिशा-निर्देश के अनुरूप हो और जहां तक स्वीकृतियों का संबंध है, क्या हम इसे निरंतर बढ़ता हुआ देखते हैं ? हमने इसे पहली तिमाही में 10000 करोड़ रू. किया था, इसलिए अच्छे विचारों की वजह से क्या इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है?

प्रबंधन जी हां। अच्छे विचार होने की वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त हैं तथा अनुमोदन स्वीकृतियों की दर बढ़ रही है। अब तक हमने एच 1, वित्तीय वर्ष 2014-15 तक 32748 करोड़ रू. की स्वीकृतियां पहले ही कर दी हैं।

कुणाल शाह -धन्यवाद ।

प्रचालक धन्यवाद, हमारा अगला प्रश्न बैंक ऑफ अमेरीका के विकेश गांधी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

विकेश गांधी -जी हां। नमस्कार महोदय, केवल एक प्रश्न। ऋण वृद्धि के संदर्भ में क्या हम राजकोषीय वर्ष 2015 की स्थिति के अनुसार ही हैं? और अन्य चीजों की जरूरत अपने लाभ हेतु केवल कुछ मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए ही थीं।

प्रबंधन विकेश, वितरण लक्ष्य 44000 करोड़ रू. है। इसलिए, जो कुछ भी पुनर्भुगतान राशि आनी है, उसे ध्यान में रखने के बाद परिसम्पत्ति में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलेगी।

विकेश गांधी -महोदय, आप जानते हैं कि जो भी थोड़े बहुत इन्फ्रा बाण्ड उन्होंने जुटाए हैं, उनके आधार पर बैंकों की ओर से हमने अधिक अच्छी कार्रवाई नहीं देखी है, इस बारे में आप केवल एक अच्छी टिप्पणी दें, यदि आप दे सकते हैं तो, लेकिन क्या आप इसे बैंकों की ओर से सार्थक चयन मान सकते हैं और स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि कहीं पर अब सही नहीं है लेकिन संभवतः आप जानते हैं कि पिछले 12 महीनों में इस बारे में बैंकिंग प्रणालियों से कुछ अतिरिक्त किस्म की प्रतिस्पर्द्धा हुई है?

प्रबंधन पहली चीज यह है कि बैंक केवल न्यूनतक परिपक्व 7 वर्षों वाले बाण्ड ही जुटा सकते हैं। इसलिए, किसी भी अन्य बाण्ड इश्यू के लिए, जो हम 7 वर्ष से कम परिपक्व अवधि के लिए शुरू कर रहे हैं, बैंक प्रणाली (सिस्टम) की ओर से हमें कोई समस्या नहीं है। अतः 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए जुटाए गए बाण्डों के लिए ही इश्यू आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर, जिसने सौदा किया था, कोई बैंक आगे नहीं आया है। वे इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बाण्ड जुटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझता हूं कि इसका हम पर अधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दरें 8.85 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत के आस-पास तक कम हो गई हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें कम से कम इस वित्तीय वर्ष में बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

विकेश गांधी -महोदय, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रबंधन -धन्यवाद।

प्रचालक -आपका धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न जेएम फाईनेंशियल के अमय साठे की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

अमय साठे महोदय, क्या मैं आकस्मिक व्यय के ब्यौरों के बारे में जानकारी ले सकता हूं?

प्रबंधन आकस्मिक व्यय के लिए 284 करोड़ रू. का प्रावधान है और इसमें मानक परिसम्पत्ति के प्रति आकस्मिक प्रावधान को उलटना - 28 करोड़ रू., पुनःसंरचित परिसम्पत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान - 215 करोड़ रू., एनपीए के लिए 76 करोड़ रू. और अन्य परिसम्पत्तयों के लिए प्रावधान 20 करोड़ रू. शामिल है।

अमय साठे जिस ऋण को आपने केएसके महानदी के लिए पुनःसरचित किया था, उसके बारे में क्या यह ऋण छत्तीसगढ़ परियोजना के लिए है?

प्रबंधन -जी हां।

अमय साठे -स्वीकृत राशि कितनी है?

प्रबंधन -ऋण की राशि 3541 करोड़ रू. की स्वीकृति के प्रति है।

अमय साठे -धन्यवाद महोदय। मुझे यही पूछना था।

प्रचालक -आपका धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न आईआईएफएल के श्री अभिषेक मुरारका की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

अभिषेक मुरारका -महोदय, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि अगली कुछ तिमाहियों पुनःसंरचित करने का क्रम क्या है? और यदि कोई है,

जिसकी आपको जानकारी है। यदि कोई विशेष परियोजना है जिसके लिए पुनःसंरचना की जा सकेगी?

प्रबंधन -देखिए, जो भी स्पष्ट हो रहा है, वह हमने पहले ही कर लिया है।

अभिषेक मुरारका - ऐसा कुछ शेष नहीं है अथवा कुछ भी बकाया नहीं है, जिसके बारे में आप सोचते हैं, क्या वह नजर से बच सकता है?

प्रबंधन -वस्तुतः दूसरी ओर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी परिसम्पत्ति इससे बाहर आ सकती है।

अभिषेक मुरारका - ठीक है। महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि परिसम्पत्तियों और देयताओं की कितनी राशि अगली छमाही में और अगले वर्ष के पुनः मूल्य निर्धारण के लिए स्पष्ट हो रही है?

प्रबंधन -वित्तीय वर्ष 2014-15 की शेष अवधि में पुनःमूल्य निर्धारण के लिए परिसम्पत्तियां 23386 करोड़ रू. की हैं और देयता की राशि 28054 करोड़ रू. है। शेष परिसम्पत्तियों से हमें 33 करोड़ रू. की अतिरिक्त आप प्राप्त होने की उम्मीद है। जब दरें कम हो रही हैं, तो हम लाभ होने की उम्मीद करते हैं।

अभिषेक मुरारका - ठीक है, महोदय। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता था वह आपके एन आई एम के बारे में थी। उनका निरंतर रूझान 5 के आस-पास रहा है और गत अवधि में हमें यह निर्देश दिया गया कि वे दीर्घावधि में 4 तक नीचे आ जाना चाहिए। इसलिए अगली छःमाही और संभवतः आगामी वर्ष के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या आप उस समय भी यही दबाव देखते हैं?

प्रबंधन -इस वजह से कोई दबाव नहीं हुआ है कि दरें कम हो रही हैं तथा परिसम्पत्तियों के बारे में हमारा पुनःमूल्य-निर्धारण अक्तूबर 2014 में पहले ही हो गया है और केवल एक ही पुनः मूल्य निर्धारण करना जनवरी 2014 में वित्तीय वर्ष 2014-15 में बकाया है। जब दरें कम हो रही हैं तो हमें लाभ होना चाहिए क्योंकि देयताओं को उसी समय पुनःमूल्य निर्धारण दैनिक आधार पर होता है जब बैंकों द्वारा दरों में परिवर्तन किया जा रहा होता है। इसके अलावा, उधार देने की अपनी दर को कम करने के लिए हमारे लिए बाजार में कोई रोक नहीं है क्योंकि किसी भी बैंक ने अभी दर कम नहीं की है। इसलिए मार्च, 2014 तक एनआईएम में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं हैं।

अभिषेक मुरारका - महोदय, अंत में, क्या कोई विदेशी मुद्रा ऋण परिपक्वता के लिए आ रहे हैं और क्या वे पूरी तरह से सीमित हैं?

प्रबंधन -वित्तीय वर्ष 2014-15 की शेष अवधि में विदेशी मुद्रा ऋण पुनर्भुगतान लगभग 523 मिलियन डॉलर का है।

अभिषेक मुरारका -क्या यह सीमित है अथवा क्या हम कार्य में परिणत करने का कुछ जोखिम ले रहे हैं?

प्रबंधन -कुछ प्रतिशत तक सीमित नहीं है।

अभिषेक मुरारका - ठीक है। धन्यवाद महोदय।

प्रचालक -धन्यवाद। जो कोई प्रश्न पूछना चाहता है वह * और 1 दबाएं। हमारा अगला प्रश्न जे.एम. फाईनेंशियल के अमय साठे की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

अमय साठे -महोदय, बकाया संक्रमण वित्त की राशि क्या होगी?

प्रबंधन -लगभग 22000 करोड़ रू.।

अमय साठे -जी हां। लक्ष्य कितना है, क्योंकि जब आपने अंतर्वर्ती वित्त-पोषण का कार्य शुरू किया था, तब अभीष्ट लक्ष्य लगभग 19000 करोड़ रू. था? अब हमने 22,000 करोड़ रू. और अधिक का लक्ष्य पहले प्राप्त कर लिया है।

प्रबंधन -देखिए, झारखण्ड जैसे कुछ राज्य पहले भाग नहीं ले रहे थे। अतः एक बार आर.पी. कर ली जाए तो हम उस दिशा में कुछ कर सकेंगे क्योंकि वे दूसरी संरचना के अंतर्गत आते हैं। कुछ बैंकों ने तामिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एफआरपी के लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं की है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे उस तरह से चालू हों क्योंकि यदि आप वित्त-पोषण नहीं करते हैं तो वे फिर से चूक करने जा रहे हैं। अतः हम उ.प्र. के लिए उस स्थिति में वित्त व्यवस्था करते हैं , जब इलाहाबाद बैंक मना कर देता है और हमने हाल ही में तामिलनाडु के लिए तब वित्त व्यवस्था की है जब यूको बैंक ने ऐसा करने से मना कर दिया है। पहले वर्ष में शत प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 50 प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था करनी अपेक्षित थी। इसका अभिप्राय यह है कि अनुमान के अनुसार उनमें कुछ समय बाद सुधार हो जाएगा और फिर वे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। यदि वित्त की कमी हो तो फिर वे दुबारा पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। अतः इसी वजह से हम वित्त-व्यवस्था करते हैं जब कभी बैंकों ने अपनी

एक्सपोजर(प्रकट संबंधी कठिनाइयों की वजह से वित्त व्यवस्था कर दिया हो।

अमय साठे -ठीक है। क्या ये डिस्काम उन शर्तों का पालन कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में अनुमोदन कर दिया गया है?

प्रबंधन -जी हां। यदि आप निष्पादन को देखते हैं तो टैरिफ में की गई वृद्धि की शर्तों का अधिकांश पालन कर रहे हैं। देखिए, तामिलनाडु ने वर्ष 2012 में टैरिफ में वृद्धि की है। दुबारा, पिछले वर्ष उन्होंने लगभग 1000 करोड़ रू. की छोटी सी टैरिफ वृद्धि की थी। अब रेगुलेटर (विनियामक) ने लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि की है जो पूरे वित्तीय वर्ष में लगभग 5000 से 6000 करोड़ रू. है। दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले सप्ताह अपने टैरिफ में वृद्धि की थी। फिर पंजाब ने भी टैरिफ में वृद्धि की है। अतः यह दर्शाता है कि यद्यपि उन्होंने टैरिफ में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं की है, उन्होंने वार्षिक आधार पर टैरिफ बढ़ाने के लिए कम से कम प्रयास तो किए हैं। 29 राज्यों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में टैरिफ में वृद्धि की थी, 29 राज्यों की तुलना में 26 राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान और अब 19 राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में टैरिफ में वृद्धि की है। कम से कम, यह एक बहुत अच्छी शुरूआत है कि वे एसीएस और एसीआर अंतर को उत्तरोतर समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। अतः आप यह कह सकते हैं कि वितरण क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है।

इसके अलावा, अधिकांश राज्यों में तिमाही आधार पर राजसहायता का भुगतान किया जा रहा है। अतः पहले यह अत्याधिक समय तक बकाया रहा करता था, अब सरकार के द्वारा यूटीलिटीज को नियमित रूप से राजसहायता का भी भुगतान किया जा रहा है।

अमय साठे -ठीक है, महोदय। धन्यवाद।

प्रचालक -आपका धन्यवाद। कृपया अगला प्रश्न सीएलएसए के श्री प्रखर शर्मा जी की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

प्रखर शर्मा -महोदय नमस्कार। पुनःसंरचित पुस्तिका में दिए कुछ स्पष्टीकरणों के अनुसार आपने 15,500 करोड़ रू. की राशि बतायी है। मिले-जुले कर्जदारों के आधार पर क्या आप हमें यह स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इनमें कितने निजी क्षेत्र के हैं और कितने अन्य हैं?

प्रबंधन -हम केवल निजी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, हम अन्य क्षेत्रों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लेखा-टिप्पणियों में पहले ही प्रकट कर चुके थे। राज्य क्षेत्र में, हम इन्हें पुनःसंरचित करने के रूप में नहीं मानते हैं क्योंकि अधिकांशतः इसके लिए तुलन-पत्र से वित्त-व्यवस्था की जाती है और जहां तक हमारे मानदण्डों का संबंध है, इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रखर शर्मा -क्या यह सही है और जब आप यह कहते हैं कि आपने डीसीसीओ भाग को भी इसमें शामिल कर लिया है तथा विलम्ब के कारण के आधार पर बैंक नियमन के अनुसार 2 से 4 वर्ष की सदैव छूट होती है तो क्या आप इस 15000 करोड़ रू. के उन किस्म के ऋणों में उन्हें अभी शामिल कर रहे हैं?

प्रबंधन -जब कभी आस्थगित किया जाता है, चाहे यह डीसीसीओ विलम्ब का कारण हो, ऋणों को शामिल किया गया है।

प्रखर शर्मा -जब हम साफ-साफ कहते हैं कि बैंकों के बारे यह सही नहीं है, लेकिन यह मानते हुए कि 32000 करोड़ रू. आपके कुल निजी क्षेत्र की बही में है, तो क्या यह कहना सही कि लगभग 50 प्रतिशत राशि पुनःसंरचित है।

प्रबंधन - जी हां, यह तथ्य है।

प्रखर शर्मा -क्या इसमें केवल विलम्ब वाले भाग को भी शामिल किया जाता है? अतः क्या आप यह बता सकते हैं? पहले आप डीसीसीओ और प्रवर्तक कठिनाई के बीच के इस विश्लेषण को शीघ्र दिया करते थे, क्या आप इस 15000 करोड़ की संख्या, जिसकी आपने पुनः संरचना की है और डीसीसीओ भाग के बीच का ब्यौरा दे सकते हैं?

प्रबंधन -एक मिनट। हम आपके पास आएंगे और फिर आपको बता दूंगा।

प्रखर शर्मा -कोई बात नहीं महोदय, धन्यवाद।

प्रचालक -आपका धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न आईआईएफएल के श्री आशुतोष दातर की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

आशुतोष दातर - जी हां। मेरा प्रश्न केवल वित्तीय पुन:संरचित पैकेज के बाद एसईबी की वित्तीय स्थिति के बारे में था, क्या लाभ की स्थति हटा दी है अथवा स्थिति अब खराब हो रही है

प्रबंधन जी हां। स्थिति कम से कम खराब नहीं है। यदि वे सही स्थिति के बारे में बता नहीं रहे हैं, तो कम से कम खराब नहीं हो रही है। मैं

तमिनाडु और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूं, जिन्होंने कम से कम उस सीमा तक टैरिफ में वृद्धि की है। हानियों में एक समय अवधि के बाद कमी हो जाएगी।

आशुतोष तोमर -अत: उन्हें अभी भी पर्याप्त नकद हानियां हो रही होंगी, महोदय।

प्रबंधन जी हां। उनमें केवल वर्ष 2017 अथवा वर्ष 2018 तक ही कमी आने की संभावना है। इसलिए हम 60 वर्षों की समस्या को 6 महीने अवधि में ठीक नहीं कर सकते हैं। समस्या का समाधान करने में और कमी लाने में उन्हें कम से कम 4 वर्षों का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 अथवा वर्ष 2023 तक ही नकद लाभ अर्जित कर सकता है।

राज सहायताओं की लगभग 97 प्रतिशत राशि अर्थात 46518 करोड़ रू. पहले ही जारी कर दी गई है जो इन एफपीआर भागीदारी राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए नियत थी। इन राज्यों ने गत 3 वर्षों में टैरिफ में पहले ही संशोधन कर लिया है और डिस्काम के द्वारा विद्युत प्राप्ति में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वे नियमित रूप से खरीद रहे हैं और इस प्रकार सुधार हो रहा है। वस्तुत: वांछित स्तर तक नहीं हो रहा है, अपितु कुल मिला कर सुधार हो रहा है।

आशुतोष तोमर - ठीक है, महोदय। धन्यवाद।

प्रचालक -आपका धन्यवाद । हमारा अगला प्रश्न Deutschश्री मनीष शुक्ला जी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

मनीष शुक्ला -जी हां। नमस्कार और मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न यह है कि यह संक्रमण वित्त ऋणों से वर्तमान लाभ कितना हुआ है ?

प्रबंधन -सरकारी गारंटी बैंकिंग से 12.5 प्रतिशत।

मनीष शुक्ला -अत: आपको इसमें कोई खतरा नहीं आता क्योंकि मेरा आशय यह है कि जब बाजार से एएए 10.5 प्रतिशत पर कर्ज ले सकता है और लाभ 8.3 प्रतिशत पर ऋण लेना बहुत ज्यादा लगता है। यह विशेष रूप से अधिक दिखता है।

प्रबंधन -बैंक इस क्षेत्र के लिए धन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। डिस्काम कम से कम इतना धन चाहता है जिससे कि वह सभी देनादारी जो डेवलपरों, कर्मचारियों का वेतन, भावी उत्पादन संयंत्रों पर बकाया है, भुगतान कर सके। इसलिए उनके लिए, लागत की अपेक्षा निधियों की उपलब्धता ज्यादा महत्व रखती है। दूसरे, अधिकांश बैंक सभी संरचित ऋणों पर 7 वर्षों की परिपक्वता सहित 3 वर्षों के निलंबन काल पर 13.5 प्रतिशत ले रहे हैं। इस तरह से हम वास्तव में अभी भी सस्ता दे रहे हैं। प्रथमत: उन्हें बैंक ऋणों का पूर्व भुगतान करना होता है, तब वे हमें पूर्व भुगतान करने आते हैं। यदि वे पूर्व भुगतान चाहते हैं तो हम उनसे पर्याप्त प्रीमियम लेंगे।

मनीष शुक्ला -आप इस बात को ठीक प्रकार जानते हैं कि राज्य की कंपनी गारंटी सहित 12.5 प्रतिशत पर कर्ज ले रही हैं तो क्या आपको यकीन नहीं

होता है कि यह जोखिमपूर्ण है और ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता है। यह कारण भी हो सकता है, जिसकी वजह से बैंक उन्हें ऋण नहीं दे रहे हों।

प्रबंधन नहीं। उसकी यह वजह नहीं है। क्षेत्र के आधार पर बैंकों की एक्सपोजर सीमा होती है, इसलिए वे नियंत्रण में हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के मामले में राज्य के लिए बैंक की एक्सपोजर सीमा अधिक थी। इस वजह से वे वित्त व्यवस्था नहीं कर रहे थे।

जहां तक पुनर्भुगतान का संबंध है, हमारा एनपीए अधिकाशत: निजी क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए सरकारी क्षेत्र के ऋणों के डूब जाने का कोई खतरा हमें नजर नहीं आता है।

मनीष शुक्ला -ठीक है महोदय। मेरा अगला प्रश्न दुबारा से पुनर्गठन के बारे में है। आरंभ में आपने आरबीआई के द्वारा दिए वर्ष 2017 तक कुछ अपवादों के बारे में बताया, क्या आप दुबारा से बता सकते हैं कि पुनर्गठन से क्या कुछ छूट प्राप्त है ?

प्रबंधन -इस बारे में हमने पहले ही लेखा टिप्पणियों में बता दिया है।

मनीष शुक्ला -ठीक है, धन्यवाद।

प्रचालक आपका धन्यवाद । हमारा अगला प्रश्न एचडीएफसी के श्री आनंद लकड़ा जी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

आनंद लकड़ा- महोदय, आपने अभी उल्लेख किया था कि उब कोयला पूलिंग को भी एक विकल्प के रूप में माना गया है, तो क्या आप यह ठीक प्रकार से उजागर कर सकते हैं कि सरकार क्या सोच रही है, अर्थात

उन परियोजनाओं का क्या हो सकता है जिन्हें असहाय छोड़ दिया गया है और जिनसे लाभ मिल सकता है?

प्रबंधन मेरा मत है कि यह विचार विमर्श के चरण में है। विभिन्न विकल्प तलाश किए जा रहे हैं और संबंधित गुण और दोषों के बारे में विचार किया जा रहा है। इस समय टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी कयोंकि यह सरकार का एक नीतिगत विषय है। कोयले की उपलब्धता के बारे में सरकार बहुत चिंतित हे और आयातित कोयले से पूलिंग करने की जरूरत हो सकती है। सरकार ने पहले ही कहा है कि जिस किसी परियोजना को चालू किया जाना है, उसे कोयले की कमी के कारण प्रतिष्ठापित नहीं किया जाएगा और उसे उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए उस सीमा तक वे विभिन्न प्रकार के क्रम परिवर्तन और संगठन बना रहे हैं।

आनंद लकड़ा -ठीक है। महोदय, आपने यह उल्लेख किया था कि आरकेएम को 100 प्रतिशत लिंकेज मिला है, क्या यह सही है महोदय ?

प्रबंधन जहां एफएसए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वहां पर आरकेएम को 50 प्रतिशत लिंकेज है ओर इसके अलावा 30 प्रतिशत टेपरिंग लिंकेज भी उपलब्ध है। केएसके के पास 50 प्रतिशत लिंकेज है।

आनंद लकड़ा - ठीक है। महोदय, इस महेश्वर परियोजना के बारे में, हम ऐसा सुन रहे हैं कि परियोजना के बारे में अब वर्षों तक के लिए कुछ समाधान निकल आएंगे, तो यह कहां अटका हुआ है? क्या यह राज्य सरकार के पास अथवा प्रवर्तक के पास अथवा साहूकार के पास अटका हुआ है ?

प्रबंधन अद्यतन स्थिति यह है कि पिछले सप्ताह अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें प्रधान सचिव, पीएफसी के निदेशक(वित्त) ओर अन्य सरकारी पदाधिकारी सदस्य हैं। इस परियोजना को फिर से कैसे चालू किया जा सकता है, इस बारे में वे एक महीने अथवा कुछ महीनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पिछले महीने हुई बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में इस समिति का गठन किया गया है।

आनंद लकड़ा -अत: यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगामी छ: महीनों में इस परिसम्पत्ति के बारे में हम कुछ समाधान होने की उम्मीद कर सकते हैं।

प्रबंधन हम इस समय कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु 6 महीनों में हमें कुछ समाधान नजर आ जाना चाहिए।

आनंद लकड़ा - ठीक है, महोदय। संक्रमण वित्त की दिशा में पीएफसी ने भी भाग लिया है जिसमें बैंक भागीदार नहीं हो सके थे। क्या यह सही है कि आरईसी ने भी पीएफसी के साथ बराबर भागीदारी की है?

प्रबंधन - आप आरईसी की जांच कर सकते हैं।

आनंद लकड़ा -ठीक है। महोदय, आरकेएम के लिए एक्सपोजर कितना है?

प्रबंधन - 3643 करोड़ रू.।

आनंद लकड़ा -ठीक है महोदय, धन्यवाद। मुझे यही पूछना था।

प्रचालक -आपका धन्यवाद । हमारा अगला प्रश्न एलआईसी नोमूरा म्यूचअल फंड के श्री रामनाथ वेंकटेश्वरन की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

रामनाथ वेंकटेश्वरन -महोदय, नमस्कार। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बारे में कुछ और सूचना दे सकते हैं ? एक समिति बनाई गई थी और इस समिति के द्वारा अक्तूबर के अंत तक अथवा नवंबर के पहले सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने देने की उम्मीद थी।

प्रबंधन -यह रिपोर्ट 7 नवंबर तक प्रस्तुत करनी होगी। यह कार्य प्रगति पर है और संभवत: पहले सप्ताह अथवा दूसरे सप्ताह यह प्रस्तुत कर दी जाएगी।

रामनाथ वेंकटेश्वरन - इस तरह की सही योजना क्या है, समिति का क्या आदेश है?

प्रबंधन इस क्षेत्र की सभी समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा और वित्त मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

रामनाथ वेंकटेश्वरन -ठीक है। तो यह रिपोर्ट नवंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत कर दी जाएगी ?

प्रबंधन -पहले सप्ताह तक और हद से हद दूसरे सप्ताह तक।

रामनाथ वेंकटेश्वरन -ठीक है। क्या आप विस्तृत रूपरेखा दे सकते हैं, यदि नहीं, तो ठीक से निर्दिष्ट करें लेकिन किन विकल्पों के बारे में आप विचार कर रहे हैं, कम से कम इस बारे में बताएं?

प्रबंधन देखिए, मुख्य रूप से एपीपी, आरबीआई विनियमन ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे मुख्य रूप से पुनर्गठन, पुन: वित्त व्यवस्था करने, ईसीबी दिशा-निर्देशों, गैस के मूल्य निर्धारण पूलिंग तथा सभी संयंत्रों के प्रचालन में होना सुनिश्चित करने के बारे में हैं। अन्य के लिए लागत, कोल इश्यू आदि से व्यवस्था की जाती है।

रामनाथ वेंकटेश्वरन -और महोदय, विशेष एसपीवी बनवाने के लिए वित्त की व्यवस्था करने तथा विद्युत क्षेत्र के लिए कच्चे माल के बारे में यह विवेकपूर्ण मुद्दा था। क्या यह भी विचाराधीन है और इसकी स्कीम क्या है?

प्रबंधन -इसकी अलग से प्रक्रिया है। इसके अलावा, दूसरी संभावना एक कोष बनाने की है, जिससे उन परियोजनाओं के लिए इक्विटी और फंड की व्यवस्था की जा सकती है, जो पूरा होने के करीब है। इसलिए ये विभिन्न विकल्प हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

रामनाथ वेंकटेश्वरन -और समग्र तौर पर क्या कुछ स्पष्टता सामने आएगी?

प्रबंधन जी हां।

रामनाथ वेंकटेश्वरन -ठीक है महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

प्रचालक आपका धन्यवाद। जो कोई प्रश्न पूछना चाहें, वे * और 1 दबाएं। चूंकि भागीदारों की ओर से अब और प्रश्न नहीं हैं, अब मैं समापन टिप्पणियों के लिए मंच पुन: श्री अभिषेक मुरारका को सौंपता हूं।

अभिषेक मुरारका -कॉल में शामिल होने के लिए आ सभी का धन्यवाद। हमें आपकी ओर से कॉल आयोजित करने का अवसर देने के लिए श्री गोयल और श्री नागार्जुन का भी धन्यवाद और हम अगली तिमाही में दुबारा मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।

प्रबंधन धन्यवाद।

अभिषेक मुरारका -धन्यवाद महोदय।

प्रचालक धन्यवाद। आईआईएफएल कैपीटन लिमिटेड की ओर से हम इस सम्मेलन को समाप्त करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और अब आप अपनी लाइनें काट सकते हैं।

नोट : पठनीयता और प्रासंगिकता में सुधार लाने के लिए इस दस्तावेज का सम्पादन किया गया है।